Bundesamt
für Migration
und Flüchtlinge

इनटिग्रेशन कोर्स के बारे में सूचना पत्र

जर्मनी में लम्बी अवधि से रहते हुए प्रवासियों और यूरोपीयन संघ, एक ईईए देश के नागरिक के नागरीकों तथा वह जर्मनवासी जिन्हें जर्मन भाषा नहीं आती है, उनके लिए इनटिग्रेशन कोर्स के दौरान जर्मन भाषा सिखने के कोर्सों के बारे में जानकारी

आदरणीय नागरीको,

अगर आप प्रवासी के तौर पर लम्बी अवधि से जर्मनी में रहते आ रहे हैं या यूरोपीयन संघ के नागरीक हैं या वह जर्मनवासी जिन्हें जर्मन भाषा नहीं आती है तो आप शरणार्थियों के संघीय कार्यालय या एक ईईए देश के नागरिक में अर्जी कर सकते है कि आपको जर्मन भाषा सिखने के कोर्स में भरती होने की अनुमति दी जाये.

बच्चे, किशोरावस्था या युवा लोग जो अभी स्कूल में जाते हैं उनको इन कोर्सो में हिस्सा लेने का हक नही है.

<u>इनटिग्रेशन कोर्स क्या होता है?</u>

इनटिग्रेशन कोर्स में 600 स्कूली घंटों का एक जर्मन भाषा सिखने का कोर्स होता है और 100 अध्याय घंटों का एक जर्मन लोकाचार के बारे में जानकारी पाने का कोर्स होता है. भाषा-कोर्स को 100 अध्याय घंटों के अंशों में बांटा गया है. पहले 300 घंटों को आरंभिक-कोर्स कहा जाता है और अगले 300 घंटों को एडवान्स कोर्स कहा जाता है

भाषा के कोर्स में आप जर्मन शब्दावली सिखेंगे जिसकी आपको दिन-प्रतिदिन जर्मन बोलने या लिखने में आवश्यकता होगी. इसमें सरकारी कार्यालयों से ताल-मेल, पड़ोसीयों और सहक्रमचारीयों से बात-चीत तथा पत्र लिखना और फ़ार्म को भरना आदि सिखाया जाता है.

लोकाचार कोर्स में आपको जर्मन सामाजिक जीवन के बारे में सूचना दी जाती है और यहां के कानूनों तथा नियमों के बारे में और इस देश की संस्कृति और देश के नये इतिहास के बारे में सूचना दी जाती है.

महिलाओं, मां-बाप और किशोरावस्था तथा अनपड लोगों के लिए अलग-अलग विशेष कोर्स बनाये गये हैं. इन कोर्सो की अवधि 1.000 घंटे है. अगर आप शीघ्र सीख सकते हैं तो आपको इनटेनसिव कोर्स में जाना चाहिए. इसकी अवधि केवल 430 घंटे है.

कौन सा कोर्स आपके लिए सही होगा और कोर्स के किस अंश में आरम्भ किया जाये, इस बात की जांच आपका टेस्ट लेने के बाद सिद्ध की जा सकती है.

KNr. 630.009k Hindi BAMF 11/2017

परिक्षा में हिस्सा लेना

परिक्षा को दो अंशों में बांटा गया है. पहले अंश में आपको जर्मन भाषा में परिक्षा देनी होगी और एक लोकाचार विषय में. अगर आप जर्मन कोर्स में अच्छे नंबर से पास होते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इनटिग्रेशन कोर्स को पास कर लिया और आपको इस का प्रमाण-पत्र (सर्टिफ़िकेट इनटिग्रेशन कोर्स) दिया जायेगा.

अगर आपने परिक्षा पास नहीं की तो आपको केवल उस कोर्स में हिस्सा लेने का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा.

परिक्षा देना निशुल्क है.

इनटिग्रेशन कोर्स में भाग लेने के लाभ

प्रवासी जो यूरोपीय संघ के देशों के अलावा अन्य दोशों के नागरीक है, उन्हें कुछ शर्ते पूरी करनी होती है अगर वह स्थायी निवास की अनुमति चाहते है. इन शर्तों में एक शर्त है कि जर्मन भाषा की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और जर्मनी सामाजिक जीवन, कानूनों, नियमों आदि के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. इनटिग्रेशन कोर्स में पास होने के पश्चात यह शर्ते शर्त पूरी हो जाती है. इसके अलावा आप समय से पहले जर्मनी की नागरिकता पा सकते हैं.

इस के अतिरिक्त इनटिग्रेशन कोर्स में पायी गयी जर्मन भाषा की जानकारी से जर्मन में जीवन आसान हो जाता है और नौकरी मिलने के अवसर बढ़ जाते हैं.

इनटिग्रेशन कोर्स में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन

दाखिला पाने के आवेदन पत्र को कृपया पूरा और साफ़ लिखाई में भर दें. आप नजदीक की कोर्स करने वाली संस्था से सम्पर्क कर सकते हैं जो आपको आवेदन पत्र भरने में सहायक होगी. भरने के बाद आवेदन पत्र को संघीय कार्यालय के स्थानीय दफ्तर में भेज दें जो आपके नजदीक हो.

आगर आपको कोर्स में भाग लेने की अनुमति मिलती है तो आपको इस बारे में कार्यालय से लिखित सूचना भेजी जायेगी (बिरेशटिगूंग शाइन). साथ में ही आपको कोर्स देने वाली संस्थाओं की सूचि भेजी जायेगी जो आपके आस-पड़ोस में कोर्स करते है.

इनटिग्रेशन कोर्स में भाग लेने की अनुमति एक साल तक मान्य होगी. इस प्रमाणपत्र में इस वाक्य „यह भाग लेने का आधिकार वेलिड है ...” के नीचे एक तारिख लिखी होगी. आप इस तारिख तक इनटिग्रेशन कोर्स आरम्भ कर सकते है. इसलिए कृपया आप को दी गई या गहाई गई संस्था से सम्पर्क करें और वहां भाग लेने वाले लिखित प्रमाण पत्र को जमा करवा दें. इसी तरहाँ यादि आप को कोई संस्था का नाम नहीँ दिया ग्या है , तो जतनी जलदी हो सके अपनी पसंद की किसी कोर्स करवाने वाली संस्था से राबता किजिए ।

यकीन करने के लिए आने वाले समय में बुन्डस अमट खूद से भी आप को किसी कोर्स करवाने वाली संस्था में भेज सकती है ।

कोर्स करने वाली संस्था से आपको कोर्स आरम्भ होने के बारे में सूचना मिलेगी. कोर्स की रजिस्ट्रेशन करने के छः सप्ताह के अंदर कोर्स आरम्भ हो जाना चाहिए. अगर इस अवधि तक कोई कोर्स आरम्भ नही होता तो से आपको इस बारे में सूचना मिलेगी. फ़िर आप खुद फ़ैसला कर सकते हैं कि आप इंतजार करना चाहते हैं या किसी अन्य संस्था के पास कोर्स करना चाहते हैं. इस हालत में कोर्स करने वाली पूरानी संस्था आपको बिरेशटिगूंग शाइन वापिस दे देगी.

कृपया यह बात धयान मेँ रखेँ , कि यह कोर्स में भागदारी खतम कर दी जाए गी , अगर आप इपनी किसी वजह से जिआदा से जिआदा एक साल के गुजर जाने तक अपनी रजिसटरेशन नहीँ करवाते , यह एकीकरण पाठ्यक्रम शूरू नहीँ करते या इस कोरस में भागदारी को एक साल से अधिक समय के लिए छोड देते हैँ ।

कोर्स में बकाया सहभागिता

इंटीग्रेशन कोर्स का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको बकाया फॉर्म में कोर्स में भाग लेना चाहिए। इसका अर्थ कक्षा में निरंतर रूप से अपस्थित होना और अंतिम परीक्षा में भाग लेना है। कोर्स में बकाया सहभागिता आप के लिए तब भी महत्वपूर्ण है अगर आप यात्रा भत्ता प्राप्त करना चाहते हैं या बाद की तिथि में भाषा कोर्स के अध्याय घंटो को बाद में दोहराना चाहते हैं. आपके कोर्स प्रदाता आपके अनुरोध पर आपको आपकी भागीदारी का लिखित पुष्टिकरण प्रदान करेंगे.

सामान्य रूप से, केवल कोर्स का एक अनुभाग पूर्ण करने के बाद ही कोर्स प्रदाता बदलना संभव है. इस कोरस को सिरफ खास कारण होने पर बदला जा ससकता है , कास तौर पर अगर आप का घर बदला गया हो , एक पारट टाईम या फुल टाईम के कोरस को तब ही बदल सकते हैँ , अगर आप को बचचोँ की देखभाल करना होती है या आप कोई परोफएशनल कोरस कर रहे हैँ , या इस कोरस को खतम कर लेने के बाद आप कोई काम कर सकते हैँ ।

इनटिग्रेशन कोर्स की फ़ीस

भाग लेने के लिए आपको 1.95 यूरो प्रति स्कूली घंटे की फ़ीस कोर्स की संख्या को भरनी होगी. यह रकम हर 100 घंटों के अंश के लिए भरनी होगी और लोकाचार के कोर्स के आरम्भ में देनी होगी. अगर आप कोर्स में सतेत हिस्सा नही लेते तो आपको उन घंटों की फ़ीस वापिस नहीं दी जा सकती जिनमें आप उपस्थित नहीं थे. अगर आपकी अपनी कोई आमदनी नहीं है तो वह फ़ीस उस व्यक्ति को भरनी होगी जिसके पास आप के जीवन-निर्वाह की जिम्मेदारी होगी.

वह भाग लेने वाले जिन्हें रोजगार कार्य से खर्चा (Arbeitslosengeld II) मिलता है या सोशल के पैसे (Sozialhilfe) मिलते है या जिनकी आमदनी बहुत कम हैस उन्हें इस फ़ीस से मुक्ति मिल सकती है. फ़ीस से मुक्ति पाने के लिए आपको संघीय कार्यालय के स्थानीय दफ्तर में लिख कर आवेदन भेजना होगा (पत्ते की सूचि देखें). कृपया आपनी वित्तीय आवश्यकता के सत्यापन का विवरण दें (बेरोज़गार प्रतिपूर्ति घ्घ् की अधिसूचना, समाजिक लाभ, घर लाभ,बचचोँ के लिए पैसे , शरन के कानून के अनोसार दी जाना वाली रकम, छात्र ऋण [इ-उ, बाल भत्ता, शरणार्थियों के लाभ के अधिनियम पर आधारित लाभ, शिशु सदन से शुल्क माफी, रेडियो और टेलीविजन लाइसेंस

शुल्क (ऊँ) से माफी, स्थानीय सामाजिक टिकिट आदि जैसे प्रासंगिक प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि). अगर संभव हो तो कृपया कोर्स शुरि करने से पहले अपना आवेदन पत्र जमा कर दें. अगर आप ने यह दरखासत अपने कोर्स के बीच में दी है , तो हो सकता है , कि आप को इस फीस से मुकती ना दी जाए ।

बच्चों की देखभाल

अगर आप को इस एकीकरण पाठ्यक्रम में जाने के लिए बच्चों की देखभाल करना पडती है, तो आप कृपया करके कोर्स देने वाली संस्था से संपर्क किजिए . यह आप को मौजूदा संभावनाऔँ के बारे में जानकारी दें गे .

शुल्क में योगदान की वापसी

अगर आपने 8 दिसंबर, 2007 के बाद की अंतिम परीक्षा सफलतापूर्वक दी है, तो प्रवसन और शरणार्थियों का संघीय कार्यालय, आपको पहले से प्रदत्त शुल्क के योगदान के 50% की वापसी कर सकता है. यह केवल तब लागू होता है अगर कोर्स में पहिली बार उपस्थित होने की योग्यता के पुष्टिकरण के प्रकाशन और अंतिम परीक्षा की पूर्णता के बीच दो वर्ष से अधिक न बीते हों. वापसी के लिए आपको प्रवसन और शरणार्थियों के संघीय कार्यालय के कार्यक्षम क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करना होगा.

यात्रा व्यय

अगर प्रवसन और शरणार्थियों के संघीय कार्यालय ने आपको शुल्क में योगदान के भुगतान में छूट दे दी है, तो आपको सामान्य रूप से यात्रा व्यय के लिए एक भत्ता प्राप्त होता है. यह सब्सिडी आप को सम्मिलित के रूप से एक दिन कोर्स में जाने के के हिसाब से मिले गी, इस के लिए शरत यह है , कि आप के कोर्स की स्थान आप की निवास स्थल से कम से कम ३ किलो सीटर की दूरी पर हो । यह यात्रा के लिए दी जाना वाली सम्मिलित लेने के लिए आप को अपने क्षेत्रीय स्तेल्ले के बुन्डस अमट के दफतर में दरखासत देना हो गी तब ही यह आप को दी जा सकता है.

अनुसरण भाषा कोर्स को दोहराना

अगर आप भाषा परीक्षा में जर्मन के बारे में पर्याप्त ज्ञान का प्रदर्शन करने में असमर्थ थे, तो आप एक-बारगी आधार पर भाषा कोर्स के अधिकतम 300 अध्याय घंटे दोहरा सकते हैं और भाषा परीक्षण निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको नियमित रूप से अध्यायों के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होती है.

अगर आप साक्षरता कोर्स ले रहे हैं, तो भाषा परीक्षण में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है. दोहराए गए अध्यायों के बाद का भाषा परीक्षा में भाग लेना भा भी निःशुल्क होगा.

आपको अध्याय घंटों को दोहराने के लिए संघीय कार्यालय के उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करना होगा.

<u>अन्य चीजें जो आपको पता होनी चाहिए</u>

इस निर्देश पत्रक में उपस्थित सभी आवेदन फ़ॉर्म कोर्स प्रदाता के पास, आपके स्थानीय अप्रवास कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध हैं. आप इंटरनेट साइट **www.bamf.de** पर भी फ़ॉर्म प्राप्त कर सकते हैं.

निर्देश पत्रक में इंटीग्रेशन कोर्स में आपकी सहभागिता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है. आपका कोर्स अतिरिक्त विवरण पर आपको जानकारी प्रदान करेगा.

कृपया शरणार्थी परामर्श कार्यालयों और युवा अप्रवास सेवा द्‌वारा प्रस्तावों पर भी ध्यान दें. ये कार्यालय आवेदनों में आपकी सहायता करेंगे. आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और आपकी समस्याओं को संबंधित करेंगे और वे आपके लिए उपयुक्त इंटीग्रेशन कोर्स ढूंढ सकते हैं. आप अपने स्थानीय अप्रवास कार्यालय, प्रवसन और शरणार्थियों के संघीय कार्यालय के कार्यक्षम क्षेत्रीय कार्यालय या इटरनेट पर www.bamf.de से पता सकते हैं कि आपके पड़ोस में अप्रवास परामर्श कार्यालय और युवा अप्रवास सेवाएं कहां हैं.

कृपया ध्यान दें कि जब आप इंटीग्रेशन कोर्स में उपस्थित होते हैं तो आप वैधानिक दुर्घटना बीमा के अधीन नहीं होंगे.